न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00322RAAJodhpur2018-139RTA225 Yogesh Kachchhawah Vs Daramram etc

योगेश कच्छवाह पुत्र श्री दिनेश कच्छवाह, जाति माली,
निवासी- हरिविकास, कच्छवाह नगर, नागौरी बेरा,
मण्डोर जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. दारमराम पुत्र जोगाराम जी जाति मेघवाल,
2. पुरखाराम पुत्र जोगाराम जी जाति मेघवाल,
3. हरिराम पुत्र जोगाराम जी जाति मेघवाल,
4. लिछमणराम पुत्र जोगाराम जी जाति मेघवाल
5. मीरा पत्नी जोगाराम जी जाति मेघवाल; फौत नाम डिलीटद्ध
   सभी निवासीगण- मोखेरी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।
6. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 मई 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2012 दारमराम बनाम पुरखाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री जे. गहलोत, श्री के.के. भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 07 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2012 दारमराम बनाम पुरखाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियमं प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 37 रकबा 22.08 बीघा ग्राम मौखेरी में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 38 रकबा 09.15 बीघा में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत कैम्प मौखेरी में रखकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मई 2018 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को बिना किसी सूचना लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उनके भाईयों की कृषि भूमि खसरा नं. 39 में से कटाणी रास्ता पिछले 20 वर्षो से चल रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त वैकल्पिक रास्ते से ही आवागमन किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब में उक्त वैकल्पिक रास्ते का जिक किया गया, जिसका जवाबबुल जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने जिस खसरा नंबर 38 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित बताया है, मार्केट दर से कम दर आंकी गई है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। दौराने बहस अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु आधा रास्ता खसरा नं. 38 में सें एवं आधा रास्ता खसरा नं. 39 में से दिया जाता है तो अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 38 में से रास्ता देने हेतु सहमत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट जोधपुर शहर का व्यक्ति है। उसके स्थाई व रिश्तेदार अधिवक्ता ग्रीष्मावकाश में जोधपुर से बाहर होने व वकील की हड़ताल होने व अपीलांट को कानूनी जानकारी नहीं होने से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का सद्भाविक कारण है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मई 2018 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई 2018 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मौखेरी में रखा गया, जिसकी सूचना पक्षकारान् को दिये जाने बाबत नोटिस अथवा इस आशय का अंकन विचारण न्यायालय की पत्रावल पर उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार फलोदी द्वारा उसी दिन विचारण न्यायालय के समक्ष मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो प्रथमदृष्टया मौके पर जाकर तैयार नहीं की जाकर लोक अदालत केम्प में ही तैयार की गई है तथा उक्त रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है तथा न ही वांछित रास्ते का नजरी नक्शा, न ही अन्य वैकल्पिक रास्तों की उपलब्ध बाबत जांच की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नियम-विरुद्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान् को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट की भूमि में से नवीन रास्ते का स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन विचारण न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2012 दारमराम बनाम पुरखाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मई 2018 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों बाबत जांच रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर